संख्या- 619 /III(2)/21-62(प्रा.आ.)/2005 TC II.

प्रेषक,

रमेश कुमार सुधांशु,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 20 मार्च, 2021

विषयः– एस.सी.एस.पी. के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत नौगांव ब्लॉक में बिगराड़ी से काण्डा मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (पुनरीक्षित आगणन) की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2006–07 में विषयगत मोटर मार्ग के निर्माण कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या- 829/III-2/06-62(प्रा.आ.)2005 टी0सी0 दिनांक 28 मार्च, 2006 (क्रमांक–35) के द्वारा लम्बाई 2.00 किमी. तथा लागत ₹ 31.60 लाख की प्रदान की गई है।

2. उक्तानुसार प्रदत्त स्वीकृति के सापेक्ष वनभूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति विलम्ब से (वर्ष 2016) प्राप्ति होने के कारण पूर्व मे लम्बाई 2.00 किमी0 हेतु स्वीकृत धनराशि ₹ 31.60 लाख में मोटर मार्ग का निर्माण कराया जाना सम्भव नहीं होने के फलस्वरूप मुख्य अभियन्ता, लो.नि.वि., पौड़ी द्वारा उपलब्ध कराये गये पुनरीक्षित विस्तृत आगणन का परीक्षण शासन स्तर पर किये जाने पर तकनीकी परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी लम्बाई 2.00 किमी. हेतु सम्पूर्ण लागत **₹ 119.34 (₹ 31.60 लाख पूर्व स्वीकृत लागत + ₹ 87.74 लाख अतिरिक्त लागत)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय पुनरीक्षित स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं :–

(i) उक्त पुनरीक्षित स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि शासनादेश संख्या-829/III-2/06-62(प्रा.आ.)2005 दिनांक 28 मार्च, 2006 द्वारा पूर्व स्वीकृत लागत ₹ 31.60 लाख को प्रस्तुत पुनरीक्षित आगणन पर शासन द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि ₹ **119.34 लाख** से घटाते हुए, अतिरिक्त लागत ₹ **87.74 (रू0 सतासी लाख चौहत्तर हजार मात्र)** लाख में अवशेष कार्यों को पूर्ण करा लिया जायेगा। पूर्व स्वीकृत लागत के सापेक्ष यदि कोई धनराशि, आवंटन के पूर्व व्यय कर दी गई हो अथवा अवशेष हो तो उस धनराशि को स्वीकृत लागत से समायोजित करके अवशेष धनराशि ही चालू कार्यों पर अवमुक्त की जायेगी। इसके अतिरिक्त अब उक्त कार्य हेतु अतिरिक्त धनराशि किसी भी दशा में स्वीकृत नहीं की जायेगी। शासनादेश दिनांक 28.03.2006 केवल उक्त अनुमन्य सीमा तक ही संशोधित समझा जाय।

(ii) विषयगत कार्य की स्वीकृति के सम्बन्ध में शासन एवं विभागीय स्तर पर समय–समय पर आहूत बैठक में लिये गये निर्णयों का भी कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(iii) पुनरीक्षित विस्तृत आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति हेतु नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iv) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।

(v) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(vi) ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में debitable आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।

(vii) निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

(viii) स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जायेगी।

(ix) पुनरीक्षित विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजाईन/मात्राओं एवं कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

3. उक्त योजना पर होने वाला व्यय लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या–30 लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सड़कें–337 सडक निर्माण कार्य–02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेट प्लान–0201 चालू निर्माण कार्य–53 वृहद निर्माण की मद से निवर्तन पर रखी गई धनराशि से, आवश्यकतानुसार, अपने स्तर से किया जायेगा।

4– **यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या- 1039/XXVII(2)/2021 दिनांक 19 मार्च, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।**

भवदीय,

(रमेश कुमार सुधांशु)
प्रमुख सचिव

संख्या– ——— / III(2)/21–62(प्रा.आ.)/2005 टी0सी0 II तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
5. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, पौड़ी।
6. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
9. अधीक्षण अभियन्ता, 6वॉ वृत्त, लोक निर्माण विभाग, उत्तरकाशी।
10. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बड़कोट।
11. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव

Phone/ Fax:- 0135-2531154/2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
"नियोजन–।" उत्तराखण्ड़ देहरादून

Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Web-http://govt.ua.nic.in/pwd **E-mail: eicpwduk@nic.in**

पत्रांक–275 /20 याता0'क'/2020 दिनांक-25 .03.2021

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी।
2. अधीक्षण अभियन्ता, 6 वां वृत्त, लोक निर्माण विभाग, उत्तरकाशी।
3. अधिशासी अभिन्यता निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बड़कोट।
4. अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0सैल विभागाध्यक्ष, कार्यालय लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति विभागीय "वैबसाईट" पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
5. कनिष्ठ अभियन्ता प्राविधिक/बजट वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

24/3/21

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष
लो.नि.वि., देहरादून